विद्यालय में दोपहर का भोजन कार्यक्रम का समीक्षात्मक अध्ययन

शोध पत्र-अर्थशास्त्र

* डॉ. दिलीप पीपाड़ा

भारत सरकार ने देश में शिक्षा की अलख जगाने के लिए स्वतन्त्रता के बाद से ही अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये है। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम विद्यालयों में दोपहर के भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम देश की 2408 तहसीलों में 15अगस्त 1995 को प्रारम्भ किया गया था एवं इसकी उपयोगिता को देखते हुए 1997–98 तक इसे देश ने समस्त ब्लाकों में लागू कर दिया गया। यह योजना लगभग 12 करोड़ ऐसे विद्यार्थियों को सम्मिलित करती है जो इन क्षेत्रों में सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, शिक्षा गांरटी योजना व नवीन शिक्षा स्कीमों में चलाये जा रहे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। सरकार का मूल उद्दे य इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा जाता है कि गरीबी के कारण से माता–पिता अपने बच्चो को स्कूल नही भेजकर होटलों, या घरों में नौकर के रूप में काम पर लगा देते है अथवा उन्हें कचरा बीनने, बूट–पालिश करने, सब्जी बेचने, या अन्य किसी कार्य में लगा देते है ताकि उन्हें थोड़ी मात्रा में उनसे आय होती रहे।

सरकार इस योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों को स्कूल से जोड़ने चाहती है जो बहुत ही गरीब वर्ग से हो। प्राथमिक स्तर पर इस कार्यक्रम की सफलता को ध्यान में रखते हुये सरकार ने 1 अक्टूंबर, 2007 से इसे उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा VI से VIII तक के विद्यार्थियों के लिए भी 3479 भौक्षणिक रूप से पिछड़े इलाकों में लागू कर दिया जिससे लगभग 1.7 करोड़ अतिरिक्त विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा पायेगें। इस कार्यक्रम में प्राथमिक स्तर के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का पोषाहार व उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन का पोशाहार उपलब्ध कराया जाता है साथ ही बच्चों के भोजन में फोलिक ऐसिड, लौह तत्व, विटामीन ए,बी,सी आदि सुक्ष्म तत्व भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की सिफारिश की गयीं इसके लिए प्राथमिक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम व उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिये प्रतिदिन 150 ग्राम खाद्यान सरकार मुहैया करती है। साथ ही भोजन को पकाने तथा सब्जी इत्यादि की व्यवस्था करने के लिये पकाने वाले को प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र–छात्रा दो रूपये आठ पैसे, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों (कक्षा 6 से 8) के लिये दो रूपये साठ पैसे का भुगतान किया जाता है। अपने प्रारम्भ से यह कार्यक्रम अब तक अनेकों उतार–चढ़ाव से गुजारा एवं परिष्कृत हुआ है। प्रारम्भ में इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सूखा अनाज उपलब्ध कराया जाता था। उसके बाद में उन्हें इस अनाज को पकाकर दलिया (घूघरी) दिया जाता था। जिसमें बच्चों को खीर, जलेबी या कोई मिठाई भी भोजन में परोसी जाती है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना, ड्राप आऊट की दर को कम करना, बच्चों को कक्षा में भूखे रहने से बचाना, शैक्षणिक मूल्यों का महत्व समझाना सामाजिक व लैंगिग समानता की भावना को विकसित करना रहा है एवं काफी हद तक इन उद्दे यों को इस योजना के माध्यम से प्राप्त भी किया गया है। इस योजना की प्रभाविकता का अध्ययन करने के लिये झुन्झुनू जिले की झुन्झुनू, सूरजगढ़, खेतड़ी व उदयपुर वाटी पंचायत समितियों के अन्तर्गत आने वाले कुछ गाँवों में जहां के विद्यालयों में यह योजना चल रही है।

अध्ययन के उद्देश्य :– प्रस्तुत अध्ययन निम्न मुख्य उद्देश्यों पर आधारित है। 1. बच्चों के दोपहर का भोजन कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। 2. इस येाजना के प्रति ग्रामीण जनों की राय जानना। 3. इस योजना को संचालित कर रहे अध्यापकों का दृष्टिकोण जानना। 4. योजना में रह रही कमियों को रेखांकित करना। 5. भविष्य में योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देना।

अध्ययन पद्वति :– प्रस्तुत अध्ययन में एक व्यापक अध्ययन का विशय क्षेत्र है जिसमें किसी विशिष्ट विधि का प्रयोग किया जाना संभव नही था। इस कारण आवश्यकतानुसार आगमन व निगमन विधियों के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण किया गया। अध्ययन में प्रयोग में लिए गये अधिकांश संमक प्राथमिक संमक है जिन्हे प्रश्नावली, साक्षात्कार व विचार–विमर्श द्वारा एकत्र किया गया।

परिकल्पना :– उपरोक्त अध्ययन निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित हैं। 1. दोपहर का भोजन कार्यक्रम भारत सरकार एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। 2. इस कार्यक्रम से स्कूलों में नामांकन की स्थिति सुधरी है। 3. बच्चों व ग्रामीणों के द्वारा इस योजना को पंसद किया जा रहा है।

अध्ययनरत उतरदाताओं की आर्थिक–सामाजिक शैक्षणिक पृष्ठभूमिः– प्रस्तुत अध्ययन में 150 ग्रामीण जनों व 30 अध्यापक – अध्यापिकाओं कों लिया गया एवं एक प्रश्नावली तैयार कर प्रयास साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाए संग्रहित की गयी। सूचनाओं के संग्रहण में उत्तरदाताओं की आयु, लिंग, धर्म, व्यवसाय, अन्य भौक्षणिक स्तर को ध्यान में रखा गया। अध्ययन में सम्मिलित किये गये उत्तरदाताओं की विभिन्न विशेषताए निम्न प्रकार थी–1. कुल 150 गैर शिक्षण उत्तरदाताओं में 132 पुरूष व 18 महिलाएं थी जबकि 30 शिक्षकों में 14 शिक्षक व 16 शिक्षिकाए है। इस प्रकार कुल 81.1 प्रतिशत पुरूष व 18.9 प्रतिशत महिलायें थी जिन्हें तालिका क्रमांक 01 से दर्शाया गया है। 2. गैर शिक्षक उत्तरदाताओं में 41 की आयु, 25–35 वर्श, 45 की आयु, 36–50

*अर्थशास्त्र विभाग, सेठ मोतीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झुन्झुनू, राज.

वर्ष व 57 की आयु 50 वर्ष से अधिक थी शिक्षक उत्तरदाताओं में 22 की आयु 25–35 व 52 की आयु 35 वर्ष से अधिक है। इन्हे तालिका क्रमांक 02 से दर्शाया गया है, इससे यह व्यक्त होता है कि उत्तरदाताओं में 68 प्रतिशत की उम्र 50 वर्श से कम है। 3. शिक्षक उत्तरदाताओं में 23 स्नातकोत्तर तक शिक्षित थे 7 स्नातक, गैर शिक्षक उत्तरदाताओं में 30 स्नातकोत्तर 43 स्नातक 39 मैट्रिक व समकक्ष 35 प्राथमिक शिक्षा व 3 निरक्षर है। इन्हें तालिका क्रमांक 03 से दर्शाया गया है तालिका में 80 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर प्राथमिक स्तर से अधिक है। 4. गैर शिक्षक उत्तरदाताओं में 22 नौकरी पेशा, 80 स्वयं का व्यवसाय 30 कृषक व 18 मजदूरी करते है। तालिका क्रमांक 04 से स्पष्ट है कुल उत्तरदाताओं में सर्वाधिक प्रतिशत व्यवसायपरक लोगो का है। 5. उत्तरदाता सभी शिक्षकों की आय प्रतिमाह दस हजार से अधिक थी जबकि गैर शिक्षक उत्तरदाताओं में 90 की आय चार हजार से कम 22 की आय 4000–6000 व 38 की आय 6000 से अधिक थी। तालिका क्रमांक से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में 50 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आय 4000 मासिक से भी कम थी।

तालिका क्रमांक 01

उत्तरदाताओं की लिंग सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	लिंग	आवृति	प्रतिशत
1.	पुरूष	146	81.1
2.	महिला	34	18.9
	योग	180	100

तालिका क्रमांक 02

उत्तरदाताओं की आयु संरचना

क्रमांक	लिंग	आवृति	प्रतिशत
1.	25–35 वर्ष	63	35
2.	36–50 वर्ष	60	33.3
3	50 वर्ष से अधिक	57	31.7
	योग	180	100

तालिका क्रमांक 03

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक संरचना

क्रमांक	लिंग	आवृति	प्रतिशत
1.	स्नातकोत्तर	63	29.4
2.	स्नातक	50	27.8
3	मेट्रिक	39	21.7
4.	प्राईमरी	35	19.4
5.	निरक्षर	3	1.7
	योग	180	100

तालिका क्रमांक 04

उत्तरदाताओं का व्यवसाय

क्रमांक	लिंग	आवृति	प्रतिशत
1.	नौकरी	52	28.9
2.	व्यवसाय	80	44.4
3	कृशक	30	16.7
4.	मजदूरी	18	10.0
	योग	180	100

तालिका क्रमांक 05

उत्तरदाताओं की मासिक आय

क्रमांक	लिंग	आवृति	प्रतिशत
1.	4000 से कम	90	50.0
2.	4000–6000	22	12.2
3	6000–10000	38	21.1
4.	10000 से अधिक	30	16.7
	योग	180	100

स्रोत्रः विभिन्न प्रश्नावलीयों से प्राप्त सूचनाओं के संकलन द्वारा तैयार।

नोटः कोष्ठक में दी गयी राशिया प्रतिशत में है।

निष्कर्ष :

उपरोक्त प्र नों के अतिरिक्त पूछे गये पूरक प्र नों तथा अनौपचारिक व औपचारिक साक्षात्कार के आधार पर सामान्य रूप से यह किया गया कि इस योजना को सभी के द्वारा पंसद किया जा रहा है एवं इस योजना के लागू होने के बाद विद्यार्थियों की रूचि स्कूल आने में बढ़ी है कुछ स्कूल में दोपहर की छुट्टी के बाद विद्यार्थियों का कम आना इस तथ्य की पुश्टि करता है परन्तु ग्रामीणों व ि ाक्षकों में से अधिकां ा स्कूल में दिये जा रहे दोपहर के भोजन को उच्च्य गुणवत्ता का नही बताते है क्योंकि उनका मानना है कि इस हेतु प्रति छात्र अनाज के अतिरिक्त सब्जी इत्यादि की व्यवस्था व पकाने हेतु दी जा रही रा़ि ा बहुत ही कम हैं योजना के बारें में ि ाक्षको का मानना की इससे हालांकी विद्यालयों में ड्रापआऊट की दर गिरी है परन्तु इसने विद्यालय में कागजी कार्य को बहुत बढ़ाया है।

सुझावः–

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर इस योजना का भविश्य में और अधिक त्वरण के साथ जारी रखने के लिए निम्न उपाय काम में लिये जाने चाहिएः–

1. अनाज के अतिरिक्त प्रति बालक सरकार के द्वारा व्यय की जा रही रा़ि ा को 4 रू. प्रति बालक तक बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि पिछले कुछ समय मुद्रा स्फीति की दर में वृद्धि के कारण सब्जी, ईंधन आदि के मूल्य बढ़े है।
2. योजना के बारें में अनाव यक कागजी कार्यवाही कम होनी चाहिए ताकि अध्यापकों पर कार्य में भार नही बढ़े।
3. भोजन की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाना आव यक है।
4. विद्यालयों में अनाज के भण्डार की उचित व्यवस्था हो ताकि उसमें जीव उत्पन्न न हो।
5. योजना के संचालन व निरीक्षण का कार्य गाँव के व्यक्तियों की एक कमेटी को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि अध्यापकों का ि ाक्षण कार्य प्रभावित न हो।
6. जिन स्कूलों में छात्र संख्या 50 से कम हो वहा मजदूरी, सब्जियों व अन्य कार्य के लिए प्रति बच्चा अधिक भुगतान करना चाहिए।
7. सरकार के द्वारा बंद कर दी गयी बाल जीमण योजना को पुनः चालू करना चाहिये जिससे भामा ाह आगे आकर इस योजना में अपना योगदान दे सके।

अध्ययन से प्राप्त सूचनांएः— प्रश्नावली, साक्षात्कार के माध्यम से योजना के बारें में पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से निम्न परिणाम प्राप्त हुये :—

प्र न	ग्रामीण			योग	िक्षक			योग
	हॉं	नहीं	कोई राय नही		हॉं	नही	कोई राय नही	
1. बच्चों के दोपहर 2 बजे का भोजन योजना एक आद र् योजना है।	142 (94.67)	8 (5.33)	0	150	30 (100)	0	0	30
2. क्या आपने बच्चे की दोपहर का भोजन प्रारम्भ होने के कारण स्कूल भेजा है?	1 (0.67)	146 (97.33)	3 (2.0)	150	0	0	0	0
3. क्या इस योजना के कारण बच्चों की स्कूल में रूचि बढ़ी है?	90 (60.0)	56 (37.33)	4 (2.67)	150	22 (73.33)	3 (10.00)	5 (16.67)	30
4. क्या आप इस योजना में अनाज की जगह तैयार भोजन को उत्तम मानते है?	142 (94.67)	7 (4.67)	1 (0.66)	150	28 (93.33)	0	2 (6.67)	30
5. क्या बच्चों को दिया जा रहा भोजन उच्च गुणवत्ता युक्त है?	12 (8.0)	133 (88.67)	5 (5.33)	150	27 (90.0)	2 (6.67)	81 (3.33)	30
6. क्या इस कार्यक्रम के कारण स्कूल का िक्षण कार्य प्रभावित हुआ है?	103 (68.67)	40 (26.67)	7 (4.66)	150	5 (16.67)	24 (80.00)	1 (3.33)	30
7. क्या इस योजना में भ्रष्टाचार है?	94 (62.67)	50 (33.33)	6 (4.0)	150	0	29 (96.67)	1 (3.33)	30
8. क्या इस योजना में निजी क्षेत्र का सहयोग	124 (82.67)	26 (17.33)	0 (0.0)	150	26 (86.67)	4 (13.33)	0	30
9. सरकार के प्रति इस योजना में प्रति बच्चा दी जा रही रा ि बढ़ानी चाहिए।	146 (97.33)	0 (0.0)	4 (2.67)	150	30 (100)	0	0	30
10. क्या सरकार को इस योजना पर प्रति बालक खर्च की जा रही रा ि को सीधे ही नकद दे देनी चाहिए।	2 (1.33)	147 (98.0)	1 (0.67)	150	8 (26.67)	22 (73.33)	0	30
11. क्या इस कार्यक्रम के कारण विद्यालय में ड्रापआऊट की दर गिरी है	0	0	0		24 (80.0)	0	6 (20.0)	30
12. क्या इस कार्यक्रम के बाद स्कूल में विद्यार्थी पंजीकरण बढ़ा है।	0	0	0		27 (90.0)	0	3 (10.)	30
13. क्या इस योजना के कारण अध्यापकों के कार्यभार में दृष्टि हुई है।	50 (33.33)	97 (64.67)	3 (2)	150	29 (96.67)	0	1 (33.33)	30

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. लक्ष्मीनारायण, नाथूरामका '' भारतीय अर्थव्यवस्था'' कॉलेज बुक हाऊस, जयपुर। 2. बी. एल. ओझा, ''भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्यांए'' आद र् प्रका न, जयपुर। 3. Economic Survey 2008-09 (GOI) Feb.2009 4. Statistical Outline of India 2008-09 5. Budget Study of GOI for 2009-10 6. Rajasthan Patrika and Dainik Bhaskar, News Paper. 7. Articles in EPW, The Economic Times, Business lines on this programme.